भारत डायनामिक्स लिमिटेड
सतर्कता विभाग
निगम कार्यालय :: हैदराबाद

संदर्भ : बीडीएल/04/एस आई/वी ए डब्ल्यू दिनांक : 30.09.2021

सतर्कता विभाग द्वारा विधिपरक सुधार के लिए किये गये पहल

निवारक सतर्कता के तहत नियमित जाँच, आकस्मिक जाँच और खरीदी तथा सिविल फाइल की संवीक्षा की गई। क्षेत्र जहाँ पर व्यवस्थित सुधार की आवश्यकता है उन्हें पहचाना गया तथा प्रबंधन को सुधारक उपाय सुझाए गए।

जनवरी-2021 से सितंबर-2021 के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा कुल 10 क्षेत्रों में व्यवस्थित सुधार सुझाए गए हैं और व्यवस्थित सुधार संबंधी कई सुझाव प्रबंधन द्वारा स्वीकृत और कार्यांवित किए गए हैं।

क्र.सं	फाइल / संदर्भ सं.	किये गये विधिपरक सुधार
1	BDL/04/VIG/107/SI-34 /2021 dated 03.03.2021	**संरचनात्मक / गोपनीय अधिप्राप्ति मामले के लिए एस ओ पी –** विक्रेता / आपूर्तिकर्ता का चयन, भविष्य में बीडीएल में एक सक्षम आपूर्तिकर्ता जो आपूर्ति 'जोख़िम' जॉच में मुख्य भूमिका निभाती है। यह सुझाव दिया गया है कि मैनुअल रूप में प्रावधान दिया जाएगा जिसमें संरचनात्मक या तकनीकी संवेदनशील / गोपनीय अधिप्राप्ति का पता लगाया जा सकता है और संरचनात्मक प्रक्रिया या तकनीकी संवेदनशील / गोपनीय अधिप्राप्ति, सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में मानदण्डों को एस ओ पी में रखा गया। प्रबंधन द्वारा इस सुझाव को स्वीकृत किया गया तथा एस ओ पी के साथ आवश्यक संशोधन जारी की जाएँगी।
2	BDL/04/VIG/107/SI-35 /2021/2 dated 31.05.2021	**बीडीएल में कैजुअल / संविदा मानव शक्ति की भर्ती पर रिपोर्ट –** कंपनी के सभी इकाइयों में कैजुअल्स / संविदा मानवशक्ति की भर्ती पर सतर्कता प्रभाग द्वारा अध्ययान किया गया। यह देखा गया कि कार्यस्थल में मानवशक्ति उपस्थिति अनुवीक्षण करने की कोई उचित पद्धति नहीं है और मानक निविदा दस्तावेज भी नहीं है। प्रत्येक सेवा आदेश की निबंधन एवं शर्तें अन्यों से भी अलग है। सतर्कता प्रभाग ने सभी संविदा मानवशक्ति के लिए उचित बॉयोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया गया। निविदा दस्तावेजों का मानकीकरण और सभी फाइलें सी एल एम प्रभाग के उचित माध्यम से भेजने का सुझाव दिया। यह प्रबंधन के विचाराधीन है।
3	BDL/04/VIG/107/SI-36 /2021/3 dated 04.06.2021	**सतर्कता को शामिल न करते हुए प्रशासनिक कदाचार से संबंधित अनुशासनिकमामले को उचित रूप से सँभालना–** बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के संबंध में सतर्कता को शामिल न करते हुए प्रशासनिक कदाचार से संबंधित लंबित अनुशासनिक मामलों की समीक्षा की गयी। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार समय सीमा में विभागीय जॉच की पूर्ति के संबंध में सुधार लाने के लिए सुझाव दिये। प्रबंधन ने दीर्घकालीन लंबित अनुशासनिक मामलों की शीघ्र कार्यवाई के सुझाव की स्वीकृति की।
4	BDL/04/VIG/107/SI-37 /2021/4 dated 17.06.2021	**05 प्रकार के अल्यूमिनियम कच्चे माल की अधिप्राप्ति पर विधिपरक सुधार :** अधिक मूल्य के मदों की अधिप्राप्ति की जॉच के तहत 05 प्रकार के अल्यूमिनियम के कच्चे माल की अधिप्राप्ति में सतर्कता प्रभाग द्वारा कुछ गलतियाँ जानकारी में आयीं। बीडीएल की जॉच के संबंध में 9 विक्रेताओं में से चार (4) अपने बिड्स/कोटेशन जमा किये। निविदा दस्तावेज के अनुसार सुपुर्दगी सूची के गैर-अनुपालन के कारण

		वाणिजिकी आधार पर 3 बिड्स रद्द किये। तथापि, वित्त विभाग के सिफारिशों के आधार पर एक वस्तु के L1 विक्रेता से सुपुर्द की कालावधि (3 माह जाँच अनुसार) तक करने के लिए पूछा गया और इसी अनुसार किया गया। अन्य तीन वस्तुओं के संबंध में किसी दूसरे दो पार्टियों के साथ संपर्क करने प्रभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। इसे विक्रेताओं से संपर्क करने का प्रयास किया गया है साथ ही, निर्धारित सूची अनुसार सुपुर्द किया जाना चाहिए। ई-रिवर्स निलामी आयोजनकी जानी चाहिए। इसलिए यह सुझाव दिया गया कि मांगकर्ता को ऐसे मामलों में और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है और आई एम एम को संवेदनशील रखना जरूरी है। साथ ही, खरीद की पूर्ण प्रक्रिया के दौरान अविभाजनीय रूप से वित्त विभाग सावधानीपूर्वक प्रदान करता है। प्रबंधन द्वारा इस सुझाव को स्वीकार किया गया साथ ही, ई-रिवर्स निलामी से संबंधित आई एम एम और वित्त कार्यपालकों को संवेदनशील रहने पर कार्यवाई आरंभ की गयी।
5	BDL/04/VIG/107/SI-38 /2021/5 dated 18.06.2021	**डीपीसी/चयन समिति सिफारिश का अनुमोदन चयन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र और तत्संबंधित मामलों के लिए समय निर्धारिण –** कंपनी की प्रणालियाँ एवं पद्धतियों की समीक्षा के तहत बीडीएल की भर्ती नियमावली – 2012 की योग्यता क्रमसूची (2,16) की तैयारी से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन किया गया। यह देखा गया कि चयन समिति / डीपीसी की सिफारिशों के अनुमोदन या प्राधिकारी की नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसके साथ प्राधिकारी की नियुक्ति से संबंधी अनुमोदन के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है। आगे, यह भी देखा गया कि वर्तमान भर्ती नियमावली की 2,16,2 में प्रावधान अनुसार इस पैनल की 'वैधता' एक साल के लिए है और इसे एक और 6 माह के लिए बढ़ा दी जाएगी। इसमें यह उल्लेख नहीं किया है कि किस तरह से परिकलित किया जाता है। इसी क्रम में प्रावधानों संबंधित पर्याप्त विवरण कार्यालय ज्ञापन दि. 10 अप्रैल, 1989 को डीओपीटी द्वारा जारी सं. 22011/5/86-Estt.(D) में दिया गया है। बीडीएल में आर अण्ड पी नियमावली के साथ डीओपीटी दिशा-निर्देशों के उचित प्रावधानों को शामिल किये जाने का सुझाव दिया गया। यह प्रबंधन के विचाराधीन है।
6	BDL/04/VIG/107/SI-39 /2021/6 dated 29.06.2021	**अनजान व्यक्तियों द्वारा बीडीएल-केबीयू में चंदन के पेड़ों को काटने पर विधिपरक सुधार-** सतर्कता विभाग की जानकारी में यह पाया गया कि जून,2021 के 3रे सप्ताह के दौरान केबीयू के परिसर में लगभग 15 चंदन के पेड़ काट दिये और इसे किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चुराया गया। सुरक्षा की दृष्टि से यह सबसे बड़ा उल्लंघन है। यह अनुमान लगाया गया कि कुछ ऐसे व्यक्ति है जिसे इस जगह की जानकारी है वे इस घटना में शामिल है। कंपनी के सभी इकाइयों में सुरक्षा लेखापरीक्षा का आयोजन करना और संबंधित प्रभावी जगहों का पता लगाने का सुझाव दिया यह भी सिफारिश किया गया कि संविदा कर्मी / मजदूरों का आवागमन के अनुवीक्षण करने उचित उपस्थिति प्रणाली का प्रयोग करें। आगे, यह सुझाव दिया गया कि पूरी तरह से जॉच-पड़ताल करने की आवश्यकता है और नियमित रूप से जॉच कर उन व्यक्तियों को पता लगाने पुलीस की सहायता से कार्य पूरा करें। यह प्रबंधन के विचाराधीन है।
7	BDL/04/VIG/107/SI-40 /2021/7	**संवेदनशील क्षेत्र में कार्यरत कार्यपालक वर्ग के कर्माचारियों का क्रमावर्तन एवं संवेदनशील क्षेत्रवार सूची के तहत भानूर इकाई में 'इलेक्ट्रॉनिक्स – लैब' का समावेश।** संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यरत कार्यपालकों का क्रमावर्तन के संबंध में प्रणाली एवं पद्धतियों

	dated 13.07.2021	की समीक्षा की गयी। यह देखा गया कि इनवार्ड गूड्स क्वालिटी कंट्रोल (आई जी क्यू सी) विभाग में समरूप कार्य और वेंडर्स से प्राप्त इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कॉपोंनेंट्स के गूड्स पावतियाँ (जी आर) जो संवेदनशील विभाग में शामिल है इसे निपटान करने संवेदनशील क्षेत्रवार सूची में शामिल किया जा सकता है। आगे यह भी सुझाव दिया गया कि संवेदनशील विभाग में 'इलेक्ट्रॉनिक लैब' शामिल किया गया और तदनुसार, इस विभाग में कार्यरत मानवशक्ति को अनिवार्य रूप से क्रमावर्तन कर तैनाति के लिए सूची में गणना की जाएगी। यह प्रबंधन के विचाराधीन है।
8	BDL/04/VIG/107/SI-41 /2021/8 dated 18.08.2021	**पुन: नियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए चिकित्सा सुविधाएँ–** कंपनी में भूतपूर्व सैनिक (पेंशनर्स) के लिए सुविधाओं का नियतन करने के लिए विशेष प्रावधानों पर ध्यान देने के साथ कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में प्रावधान का अध्ययन किया गया। केंद्रीय संगठन, ईसीएचएस, दिल्ली कंटोनमेंट. दि. 10.08.2021 के पत्र के तहत यह जानकारी दिया गया कि पुन: रोजगार पर किसी भी सरकारी निधि योजना चयन करने की आवश्यकता है। आगे, यह भी स्पष्ट किया गया कि लाभार्थी या उनके आश्रित किसी भी प्रकार की योजना का लाभ उठा सकते है। दि. 13.06.2021 की बीडीएल का.परि.सं. 13/2001 के तहत बीडीएल द्वारा भूतपुर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा लाभ का नियतन करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है।यदि लाभार्थी अपने कार्यकाल में ईसीएचएस सुविधा पाने के लिए विकल्प चुन लिया। यह सुझाव दिया गया कि ईसीएचएस के दिशानिर्देश को ध्यान में रखते हुए बीडीएल चिकित्सा नियमावली के लिए आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। कंपनी में कार्यभार ग्रहण करनेवाले भूतपूर्व सैनिक को ईसीएचएस से चिकित्सा सुविधा पाये जाने के लिए नियमित किया जाएगा। यह प्रबंधन के विचाराधीन है।
9	BDL/04/VIG/107/SI-42/2021 dated 25.08.2021	**बीडीएल में अवकाश नियमावली में 5 वर्ष से अधिक कार्य में अनुपस्थिति के लिए मानित पंजीकरण के प्रावधान –** एक कार्यपालक के मामले में यह देखा गया कि कार्यालय को 20 साल से अधिक दिन अनुपस्थित रहे और इन्हें पूछताच के लिए बुलाने पर भी नहीं आने पर चार्ज-शीट जारी किया गया। यह देखा गया कि दि. 29.03.2012 की केंद्रीय सेवाएँ (अवकाश) नियमावली 1972 संशोधन नियम-12 के तहत पॉच वर्ष से अधिक वर्ष के लिए ड्यूटि पर न आनेवाले कर्मचारियों के लिए 'मानित पंजीकरण' करने का प्रावधान दिया गया। यह भी सुझाव दिया गया कि बीडीएल अवकाश नियमावली में आवश्यक प्रावधान के क्रम में सीसीएस (अवकाश नियमावली)1972 के नियमावली-12 के तहत 'मानित पंजीकरण' करने का प्रावधान शामिल किया गया। यह प्रबंधन के विचाराधीन है।
10	BDL/04/VIG/107/ SI-43/2021/10 dated 27.09.2021	**बिना निविदा बुलाए संविदा प्रदान करना और आवश्यक खरीद पद्धति : -** बीडीएल आई एम एम मैनुअल के प्रावधानों में बिना टेंडरिंग किये अधिप्राप्ति करने की प्रक्रिया जैसे गौण खर्च, समिति खर्च का अध्ययन करना और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में उपलब्ध प्रावधानों के साथ तुलना करना। इसके मद्देनजर में यह सुझाव दिया जाता है कि पेट्टी खर्च और समिति के खर्च के लिए सुस्पष्ट रूप से दिखाने की आवश्यकता है और वित्तीय सीमा जीएफ आर-2017 की नियमावली-155 में अन्य डीपीएसयू मे निर्धारित अनुसार उपलब्ध रहे। यह भी सुझाव किया गया कि आपात्कालीन/तुरंत अधिप्राप्ति और इससे संबंधित एस ओ पी विवरण तैयार करने से संबंधित आदि प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए। यह प्रबंधन के विचाराधीन है।